



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी

भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट— <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. — 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. — 0755-2462136

No: 1538
Date: 6/9/22

SEIAA/2022

प्रति,

सदस्य सचिव,

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)

विषय: प्रकरण क्र. 8591/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स ओम ग्रेनाईट, हाउस नम्बर 01 दिदवारा, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 2.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 410 पार्ट ए ग्राम — चुरयारी, तहसील-गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 724 वी बैठक दिनांक 17.05.2022 के उपरांत 744वीं बैठक दिनांक 30.08.2022 को निम्नानुसार निर्णय लिया गया

"..... अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुत ईआईए में पी.एम. 2.5 तथा पी.एम. 10 के परिणाम निर्धारित राष्ट्रीय मानकों से अधिक तथा प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरणीय सलाहकार समाधान कारक तथ्य प्रस्तुत नहीं किये पाये जाने के कारण खनन क्षेत्र की एक माह की बेस लाईन पर्यावरणीय मॉनिटरिंग पुनः करें तथा उपरोक्तानुसार तथ्यों को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित ईआईए रिपोर्ट राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के माध्यम से प्रस्तुत करें।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 568वीं बैठक दिनांक 30.04.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक से 15 दिवस में SEAC द्वारा वांछित पुनरीक्षित ईआईए रिपोर्ट प्राप्त की जाये। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत यह निर्णय लिया गया कि वांछित जानकारी समय सीमा में प्राप्त न होने के कारण प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक के ई.मेल. दिनांक 22.08.2022 के माध्यम से सूचित किया है की उनके द्वारा SEAC की 568वीं बैठक दिनांक 30.04.2022 में सुझाई गयी अनुशंसानुसार सभी संशोधन कर लिए गए हैं साथ अनुरोध किया गया है उनके प्रकरण को Relist किया जाये।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णयानुसार प्रकरण परीक्षण हेतु प्रेषित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1539/SEIAA/2022

दिनांक — 6/9/22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल — 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल — 462016।
4. कलेक्टर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली — 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल — 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर (म.प्र.)
10. मेसर्स मेसर्स ओम ग्रेनाईट, हाउस नम्बर 01 दिदवारा, तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर।
11. संबंधित फाईल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी